आदेश द्वारा इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 231/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक), आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, 101–110, प्रथम तल, अनुकम्पा टॉवर, चर्च रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ऑटोलाईट (इण्डिया) लिमिटेड,
   प्लॉट नं. डी–469, रोड नं. 9–ए, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
2. श्री आदर्श महिपाल गुप्ता,
3. श्री महिपाल गुप्ता,
4. श्री अमित महिपाल गुप्ता,
   पता:– प्लॉट नं. 8, तारानगर, सिविल लाईन्स मेट्रो स्टेशन के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांकः 31.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ऑटोलाईट (इण्डिया) लिमिटेड. के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. डी–469(ए) लगायत डी–469(ई), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 7119 वर्गमीटर, 2. प्लॉट नं. डी–469(एफ) लगायत डी–469(जी), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 1746 वर्गमीटर, 3. प्लॉट नं. डी–469(एच) लगायत डी–469(जे), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 2556.55 वर्गमीटर को बन्धक रख कर एवं उक्त फर्म के स्वामित्व के Stock both present and future all stocks of raw materials, work in process, semi finished goods and finished goods, all the present and future books debts and plants & machineries, vehicles, spares, tools, accessories and other movables, furniture fixtures and fitting equipment's etc को हाइपोथिकेट कर दिनांक 13.03.2019, दिनांक 27.03.2019 एवं दिनांक 11.05.2020 तक कुल राशि 21,33,99,917/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक संपत्ति एवं हाइपोथिकेटेड स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरमल द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। केवियटकर्त्ता के अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 21,33,99,917/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 20,23,96,418.14/– रूपये जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक 16.11.2022 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा 13(2) के नोटिस का प्रत्युत्तर दिया गया, जिसका निस्तारण संबंधित बैंक द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्पात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स ऑटोलाईट (इण्डिया) लिमिटेड. के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति 1. प्लॉट नं. डी–469(ए) लगायत डी–469(ई), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 7119 वर्गमीटर, 2. प्लॉट नं. डी–469(एफ) लगायत डी–469(जी), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 1746 वर्गमीटर, 3. प्लॉट नं. डी–469(एच) लगायत डी–469(जे), विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, क्षेत्रफल 2556.55 वर्गमीटर एवं उक्त फर्म के स्वामित्व की हाइपोथिकेटेड संपत्ति Stock both present and future all stocks of raw materials, work in process, semi finished goods and finished goods, all the present and future books debts and plants & machineries, vehicles, spares, tools, accessories and other movables, furniture fixtures and fitting equipment's etc का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर